

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 122/2019

अनवान :-

(1) राहुल गोदारा पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादी-

बनाम

- (1) वेदप्रकाश पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- (2) दमयन्ती पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- (3) तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा


88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

डिक्री

दिनांक 18/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 7 आरडबल्यूडी जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 खाता स० 30/ 28 प० न० 225/359 कि० न० 1/2/0.0250, 1/3/0.2020, 2/1/0. 2280, 2/2/0.0250, 3/1/0.2280, 3/2/0. 0250, 4/1/0.2280, 4/2/0.0250, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250, 7/0.1190, 8/0.1190, 9/0.1190, 10/2/0.1190 कुल 1.8340 हे० मय गै० मु० व चक 13 आरडबल्यूडी जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 97/85 में प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज 1.7710 हे० में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का रथगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी